कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी,105, चन्दर नगर, देहरादून

पत्रांकः सी0एम0ओ0 / निविदा / 2015–16 /　　　　　　　　　　　　　　　दिनांकः 05.05.2015

निविदा सूचना

महामहिम श्री राज्यपाल महोदय उत्तराखण्ड की ओर से वित्तीय वर्ष 2015–16 के अन्तर्गत जनपद के विभिन्न चिकित्सालयों में सर्जिकल सामग्री, एक्स–रे सामग्री, हॉस्पिटल साज–सज्जा / वस्त्र बिस्तर, कन्टीजैन्सी, लेखन सामग्री, विद्युत सामग्री, कार्यालय फर्नीचर, प्रयोगशाला रसायन एवं पैथोलॉजिकल उपकरणों की आपूर्ति हेतु निविदाएं सीलबन्द दो लिफाफा प्रणाली में वार्षिक अनुबन्ध के आधार पर आमंत्रित की जाती है। प्रथम लिफाफे में तकनीकी बिड तथा द्वितीय लिफाफे में वित्तीय बिड अंकित करनी होगी।

निविदा पत्र और पात्रता सम्बन्धी जानकारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय, 105, चन्दरनगर, देहरादून में किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय के नोटिस बोर्ड में (निविदा विक्रय की तिथि तक) एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी, देहरादून की **website cmodehradun.org** पर देखी जा सकती है। निविदा प्रपत्र अहस्तानान्तरणीय होगा। निविदाओं को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास निहित होगा। निविदा के अंतर्गत निम्न कार्य है:– 1. सर्जिकल सामग्री / एक्स–रे सामग्री एवं हॉस्पिटल साज–सज्जा की आपूर्ति 2. कन्टीजैन्सी, लेखन सामग्री एवं विद्युत सामग्री तथा कार्यालय फर्नीचर की आपूर्ति 3. लैब रिजेण्ट एवं पैथोलॉजिकल उपकरणों की आपूति 4. हॉस्पिटल साज–सज्जा उपकरणों एवं कार्यालय फर्नीचर के अनुरक्षण का कार्य। निविदा प्रपत्र दिनांक 27.05.2015 से दिनांक 03.06.2015 तक विक्रय किये जायेंगे तथा दिनांक 04.06.2015 को दोपहर 1.00 बजे से 2.00 बजे तक निविदा कार्यालय में उपलब्ध निविदा बाक्स में डाली जायेंगी एवं दिनांक 04.06.2015 को दोपहर 3.00 बजे निविदा खोली जायेगी। प्रत्येक निविदा प्रपत्र का मूल्य रू0 500.00+13.5 प्रतिशत वैट सहित होगा।

(एस0पी0 अग्रवाल),
मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
देहरादून।

पत्रांकः सी0एम0ओ0 / निविदा / 2015–16 / 2058　　　　　　　　　　　　　　　तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त निविदा को अपने समाचार पत्र में 10x8 cm साईज में आगामी अंक में छापकर बिल भुगतान हेतु दो प्रतियों में अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में प्रेषित करने का कष्ट करें:–

1. सम्पादक, अमर उजाला, देहरादून।
2. सम्पादक, राष्ट्रीय सहारा, देहरादून।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
देहरादून।

कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी, देहरादून

निविदाओं हेतु नियम एवं शर्ते

वित्तीय वर्ष 2015–16

पत्रांक: सी0एम0ओ0 / निविदा / 2015–16 /

दिनांक: 05.05.2015

निविदा सूचना

जनपद के विभिन्न चिकित्सालयों एवं कार्यालयों तथा औषधालयों में सर्जिकल सामग्री / एक्स–रे सामग्री, हॉस्पिटल साज–सज्जा, कन्टीजैन्सी, लेखन सामग्री, विद्युत सामग्री, कार्यालय फर्नीचर की आपूर्ति, लैब रिजेण्ट, पैथोलॉजिकल उपकरणों की आपूर्ति, हॉस्पिटल साज–सज्जा उपकरणों एवं कार्यालय फर्नीचर के अनुरक्षण के कार्य किया जाना है जिसकी अनुमानित लागत पृथक–पृथक रू0 25.00 लाख या उससे अधिक हो सकती है, वार्षिक आधार पर दर अनुबन्ध हेतु मोहरबन्द निविदाएं निम्नानुसार आमंत्रित की जाती है:–

क्र0 सं0	कार्य का नाम	अर्नेस्ट मनी	कार्य की अनुमानित लागत	निविदा विक्रय की तिथि	निविदा डालने की तिथि एवं समय	निविदा खोलने की तिथि व समय	निविदा प्रपत्र का मूल्य
1.	सर्जिकल सामग्री / एक्स–रे सामग्री एवं हॉस्पिटल साज–सज्जा की आपूर्ति	रू0 50,000.00	रू0 25.00 लाख	27.05.2015 से 03.06.2015 तक	04.06.2015 दोपहर 1.00 से 2.00 बजे तक	04.06.2015 दोपहर 3.00 बजे	रू0 500.00+ 13.5 प्रतिशत वैट
2.	कन्टीजैन्सी, लेखन सामग्री एवं विद्युत सामग्री तथा कार्यालय फर्नीचर की आपूर्ति	रू0 50,000.00	रू0 25.00 लाख	27.05.2015 से 03.06.2015 तक	04.06.2015 दोपहर 1.00 से 2.00 बजे तक	04.06.2015 दोपहर 3.00 बजे	रू0 500.00+ 13.5 प्रतिशत वैट
3.	लैब रिजेण्ट एवं पैथोलॉजिकल उपकरणों की आपूर्ति	रू0 50,000.00	रू0 25.00 लाख	27.05.2015 से 03.06.2015 तक	04.06.2015 दोपहर 1.00 से 2.00 बजे तक	04.06.2015 दोपहर 3.00 बजे	रू0 500.00+ 13.5 प्रतिशत वैट
4.	हॉस्पिटल साज सज्जा उपकरणों एवं कार्यालय फर्नीचर के अनुरक्षण का कार्य	रू0 50,000.00	रू0 25.00 लाख	27.05.2015 से 03.06.2015 तक	04.06.2015 दोपहर 1.00 से 2.00 बजे तक	04.06.2015 दोपहर 3.00 बजे	रू0 500.00+ 13.5 प्रतिशत वैट

उक्त निविदाएं अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में उपरोक्तानुसार जिला क्रय समिति एवं उपस्थित निविदादाताओ के सम्मुख खोली जाएगी। निविदा से सम्बन्धित समस्त अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता के अधीन सुरक्षित हैं तथा किसी भी प्रकार का संशोधन, परिवर्तन एवं निरस्तीकरण बिना किसी भी पूर्व सूचना के किया जा सकता है। निविदा दो लिफाफा प्रणाली में होगी, एक सीलबन्द लिफाफे मे टैक्निकल बिड डाली जायेगी जिसमे अर्नेस्टमनी पृथक–पृथक मूल रूप में रखी जायेगी एवं अन्य सभी क्रमांक 1 से 11 तक (क्रमांक 9 मूल रूप में) वांछित वैध अभिलेखो की सत्यापित छायाप्रति तथा दूसरे लिफाफे मे केवल वित्तीय बिड डाली जायेगी। तकनीकी बिड एवं वित्तीय बिड के दोनों लिफाफे अलग–अलग हों तथा उनके ऊपर नियमानुसार निविदा का क्रमांक अंकित करते हुए कि अमुख निविदा हेतु तकनीकी बिड एवं इसी प्रकार दूसरे लिफाफे में भी अमुख सामग्री आपूर्ति / कार्य हेतु वित्तीय बिड (क्रमांक 1 से 4 तक जिस हेतु भी निविदा डाली जा रही हो) में उल्लेख किया जाय। उक्त तकनीकी एवं वित्तीय बिड के दोनों लिफाफे एक बडे लिफाफे में रखे जायें। वित्तीय बिड मे दरे अंकों तथा शब्दो मे अलग–अलग साफ–साफ अंकित करनी होगी। क्रमांक 01 से 11 तक के समस्त अभिलेख क्रमशः संलग्न किये जायें:–

1. जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त हैसियत प्रमाण पत्र रू0 8,00,000/– (आठ लाख न्यूनतम) (वर्तमान में हैसियत की प्रास्थिति के सम्बन्ध में स्पष्ट शपथ पत्र रू0 10.00 के स्टॉम्प पेपर पर, नोटरी द्वारा प्रमाणित)।
2. जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र जो कि निविदा प्रकाशन की तिथि से छः माह से पूर्व का न हो।

क्रमशः पृष्ठ संख्या 2 पर

3. रू0 100.00 (रू0 एक सौ) मात्र के स्टाम्प पेपर पर फर्म द्वारा यह लिखित देना होगा कि उनकी फर्म को कभी भी किसी सरकारी विभाग द्वारा काली सूची में नहीं डाला गया है।
4. किसी सरकारी विभाग में सम्बन्धित आपूर्ति कार्यों का तीन वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र।
5. फर्म स्वामी के पते का सत्यापन (Address Proof)।
6. फर्म स्वामी के राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित तीन नमूने के हस्ताक्षर।
7. व्यापार कर पंजीकरण/टिन संख्या।
8. आयकर पंजीकरण (Pan No.)
9. ई0एम0डी0 रू0 50,000.00 (एफ0डी0आर0/सी0डी0आर0/एन0एस0सी0 के रूप में)।
10. सर्जिकल/पैथोलॉजी हेतु ड्रग लाईसेंस।
11. रू0 10.00 के स्टॉम्प पेपर पर काली सूची में न डाले जाने एवं न्यायालय में वाद न चलने के सम्बन्ध में शपथ पत्र।

धरोहर राशि दरों के अनुमोदित हो जाने पर अनुमानित धनराशि का दस प्रतिशत की दर से राष्ट्रीयकृत बैंक में एफ0डी0आर0/सी0डी0आर0 के रूप मे मुख्य चिकित्सा अधिकारी, देहरादून के नाम धरोहर के रूप में जमा करने होंगे।

उपरोक्त सभी प्रमाण–पत्र मांगने पर मूलरूप से प्रस्तुत करने होंगे। शर्तो के आधार पर दरें स्वीकार नही की जायेंगी। टेन्डरदाता जिसका टेंडर स्वीकार हो जाता है उसे एक अनुबन्ध पत्र भरना होगा जिसकी शर्ते मुख्य चिकित्सा अधिकारी, देहरादून तय करेंगे। सामान लाने एवं ले जाने हेतु किसी प्रकार के अतिरिक्त व्यय प्रदान नही किया जायेगा। जिन वस्तुओं का मूल्य शासन, महानिदेशालय द्वारा नियंत्रित किया जाता है उनका भुगतान उन्हीं दरो पर किया जायेगा। टेन्डरदाता किसी भी मामले में न्यायालय द्वारा दंडित नही होना चाहिए। किसी भी वाद के उत्पन्न होने पर कानूनी कार्यवाही का क्षेत्र जनपद देहरादून के अन्तर्गत ही होगा एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी, देहरादून का निर्णय अंतिम होगा। अनुबन्ध भरने के लिये स्टाम्प शुल्क फर्म/आपूर्तिकर्ता को वहन करना होगा।

भुगतान से पूर्व आयकर/व्यापार कर नियमानुसार प्रचलित दरों पर काटा जायेगा। बिलों का भुगतान सम्बन्धित अधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, उप मुख्य चिकित्साधिकारी/चिकित्सा अधीक्षक/प्रभारी चिकित्सा अधिकारी/वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के सत्यापन के पश्चात बजट उपलब्ध होने पर ही किया जायेगा। कार्य आदेश के जारी होने के उपरान्त भी मुख्य चिकित्सा अधिकारी बिना शर्त किसी भी टेन्डर को बिना कारण बताए पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से किसी भी समय अस्वीकार/निरस्त करने के लिए सक्षम माने जायेंगे। सामग्री का ढुलान सम्बन्धित फर्म को गन्तव्य स्थल तक स्वयं वहन करना होगा।

अनुबन्ध भरने हेतु स्टाम्प ड्यूटी का वहन फर्म/आपूर्तिकर्ता को स्वयं करना होगा। निविदा अनुबन्ध की तिथि से दिनांक 31.03.2016 अथवा अगली निविदा सम्पन्न होने तक ही मान्य होगी। लेकिन इस अवधि को कम या अधिक करने का अधिकार मुख्य चिकित्सा अधिकारी, देहरादून मे ही निहित रहेगा। निविदा की शेष अन्य शर्तो/नियमों का उल्लेख स्वीकृत आदेश में किया जायेगा।

किसी फर्म अथवा कम्पनी की दशा में उनकी ओर से टेन्डर जमा/भरने वाले व्यक्ति की बोली/दरें तभी अनुमन्य होगी जबकि टेन्डर जमा/भरने वाले अथवा प्रेषित करने वाले के पक्ष में सम्बन्धित फर्म/सोसायटी/कम्पनी द्वारा निष्पादित एवं निबन्धित (स्पेशल पावर आफ अर्टोनी) और उसे सम्बन्धित फर्म/सोसायटी या कम्पनी के वैध अस्तित्व के प्रमाण–पत्र के साथ दाखिल किया जाए। निविदा फार्म पर निविदा दाता का राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित फोटो लगाया जाए। कार्य आदेश/मांग पत्र में निर्धारित समय–सीमा के अन्तर्गत सामग्री आपूर्ति/कार्यपूर्ति न किये जाने की दशा में निर्धारित सीमा समाप्त होने के पश्चात् प्रतिदिन की दर से रू0 100.00 आर्थिक दण्ड अनुबन्धकर्ता पर देय होगा तथा सम्बन्धित आपूर्तिकर्ता फर्म की जमानत राशि जब्त कर ली जायेगी।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
देहरादून।